

DIGIT

Date: 20/05/2022

To, The DFO South Forest Sagar (M.P.)

Sub: Letter Ref No क्रमांक / मा. चि./06/2022/1342

Dated: - 20/05/2022.

Dear Sir,

This is in reference with the above mentioned subject we would like to inform you that, JIO Digital Fibre Private Limited is on its way forward to make Madhya Pradesh a first digital State in India bringing in high speed broadband revolution impacting best educational and business process. In order to do the same we have been laying fibre and erecting towers for most advanced 4G Wi-Fi infrastructure at Damoh District with all due permission from the respective authority.

For Above mentioned letter which we have received, we are submitted The Compliance for LM Barpani.

Enclosed:-

1- Compliance.

2- In-Principle Permission



Jio Digital Fibre Pvt Ltd. 2005/10/104 23/1121-62 23-05-22

//अधिरोपित शर्तों का वचन पत्र//

क्र.	वचन							
1	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।							रिमार्क मान्य है।
2	प्रस्ताव में आवेदित वनभूमि का वन कक्षबार सीमांकित / चिन्हांकित रकवा 0.1 हेक्टेयर का उपयोग ओ एफ							मान्य है।
	सा. कबले लाइन बिछाने हेतु किया जावेगा। सीमांकित वनभूमि का विवरण निम्नानूसार हैं :							
	क्रमांक परिक्षेत्र वनखण्ड कक्ष रकवा लम्बाई औसत चौडाई							
				कमांक	(हे.में)	(किलो मीटर में)	(मीटर में)	
	1	2	3	4	5	6	7	
	1		बरपानी दक्षिण			2.4	0.5	
3	ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने हेतु आवेदित/सीमांकित वनभूमि रकवा 0.1 हेक्टेयर की भविष्य में वर्तमान							
	प्रचलित दरों के अंतर्गत नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि वन विभाग में जमा करने हेतु SCO, Jio Digitsal Private							
4	Ltd, 3rd Floor, DB Mall Zone-1 M.P. Nagar Bhopal वचनबद्ध रहेगा। आवेटित तन भूमि में ओ गए जी केंद्र नार्टन निपाने केंद्र को पि पूर्व नारी को प्रकेष 400 फीन्स एक कार्य म							
4	आवेदित वन भूमि में ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने हेतु खोदी गई नाली को प्रत्येक 100 मीटर पर कार्य करने के आयरंत अमतल किया जावेगा तनाफ्यान अपने Charge पर कार्य किया नावेगा। तनाभी से फूला							
	करने के उपरांत समतल किया जावेगा तत्पश्चात् अगले Chanage पर कार्य किया जावेगा। वनभूमि से गुजर रहे मार्ग के किनारे–किनारे ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाई जावेगी।							
5	आवेदित वनभूमि व उसके समीप अन्य किसी भी वनभूमि से निर्माण कार्य हेतु मिट्टी, गिट्टी, मुरूम, मान							
	बोल्डर, पत्थर आदि का उत्खनन नहीं किया जावेगा।							
6	व्यपवर्तित वनभूमि तथा उसके चारों ओर क्षेत्र में वन्य पशु/वृक्षों को होने वाले नुकसान के लिये म							
	आवेदनकर्ता विभाग जिम्मेदार रहेगें तथा उनको संरक्षित करने के लिये आवेदित विभाग द्वारा आवश्यक							
	उपाय किये जावेगें।							
7	in the second seco							मान्य है।
	कहीं भी तोड़ा नहीं जावेगा।							
8	सूर्यास्त पश्चात् वनक्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा।							मान्य है।
9	वन भूमि पर श्रमिक केंप नहीं लगाये जावेगें, न हीं वनक्षेत्र की वनसम्पदा को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचायेगें।							मान्य है।
10	वन्य प्राणियों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी तथा विद्युत लाईन से बचाव हेतु सुनियोजित उपाय							मान्य है।
10	किये जावेगें।							
11	ओ.एफ.सी. केबल लाईन बिछाने के कारण यदि वन क्षेत्र में कोई नुकसान होता है तो कार्यान्वित करने वाली							मान्य है।
	एजेन्सी परियोजना लागत पर ऐसे नकसान की भरपाई वन विभाग को करेगी।							
12	आवेदित वनभूमि के समीप में लगी वनभूमि पर किसी भी प्रकार का ओवर वर्डन की डंपिंग नहीं की य							मान्य है।
	ज्तावेगी।							
13								
	का उपयोग नहीं किया जावेगा।							
14	वन क्षेत्र के अंदर मशीन के स्थान पर मजदूरों से कार्य कराया जावेगा।							मान्य है। मान्य है।
15	अविदक/आवेदक विभाग या निर्माणकर्ता एजेन्सी के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि जावेदक/आवेदक विभाग या निर्माणकर्ता एजेन्सी के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि							
	पहुंचाई जाती है या किसी भी शर्त का उल्लंघन होना पाया जाता है तो जारी स्वीकृति तत्काल प्रभाव से							
16	निरस्त मानी जावे। प्रस्ताव में भारत सरकार/म.प्र. शासन वन विभाग/प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/ वनमण्डल							मान्य है।
16	अधिकारी, दक्षिण सागर के द्वारा भविष्य में उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्ते अधिरोपित की जाती है							
	जोधकारा, दोहाण सागर के द्वारा गायव्य न उपरायस रासा के जासारपस या न साम के बाहा के बाहा रास के के बाहा राज के तो के तो के बाहा राज के बाह राज के बाहा राज क							
							FIBER	

